ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-2* May- 2021
Anthology : The Research

उच्च शिक्षा में सब्सिडी

Subsidy in Higher Education

Paper Submission: 04/05/2021, Date of Acceptance: 15/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021

सुमन मीणा
सहायक आचार्य,
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
देवली, टोंक,
राजस्थान, भारत

सारांश

भारत जैसे विकासशील देशों में अन्य विकसित देशों की तुलना में उच्च शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती हैं। जबकि उच्चतर शिक्षा ही वह तकनीकी कुशलता प्रदान करती हैं जो किसी देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं।चिकित्सा, अभियांत्रिकी, अनुसंधान, शोध, प्रशासन इन सभी में तकनीकी व सामाजिक कुशलता की आवश्यकता होती हैं, जो कि उच्च शिक्षा पर ही निर्भर हैं। विकास के लिए श्रम में गुण (SKILL) का होना जरुरी हैं तथा शिक्षा विशेष रूप से उच्च शिक्षा इस गुण को उत्पन्न करने, परिष्कृत करने व निखारने के लिए अपरिहार्य हैं। अगर उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी प्रदान नहीं की जायेगी, तो प्रतिभा सम्पन्न निर्धन वर्ग 'कर्ज के दुष्चक्र' में फँस जायेगा तथा देश को जनसांख्यिकीय लाभांश से प्राप्त हो सकने वाला लाभ जनसांख्यिकीय आपदा में परिवर्तित हो जायेगा। अतः उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा सब्सिडी अनिवार्य हैं ताकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लोगों के पास तकनीकी कुशलता का अभाव ना हो। वर्तमान समय में कोविड–19 महामारी के दौरान उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा सब्सिडी देने का महत्व उभरकर सामने आया हैं जब अस्पतालों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी नजर आई। राज्य आधारभूत संरचनाओँ जैसे–अस्पतालों, चिकित्सीय उपकरणों की कम समय में व्यवस्था कर सकता हैं परन्तु चिकित्सको की कम समय में पर्याप्त संख्या में उपलब्धता राज्य के लिए कठिन हैं। अतीत में भारत के विश्व गुरु रहने के गौरव को भविष्य में यथार्थ रूप देने के लिए यह आवश्यक हैं कि वर्तमान में हमारे नीति निर्माता शिक्षा विशेष रूप से समावेशी उच्च शिक्षा पर ध्यान दें।

In developing countries like India, higher education is given less priority than primary education as compared to other developed countries. Whereas higher education provides those technical skills which play a major role in the development of a country. Medicine, engineering, research, explore, administration all require technical and social skills, which are dependent on higher education. For development, it is necessary to have qualities in labour and education especially higher education is indispensable for generating, refining and improving this quality. If sufficient amount of subsidy will not be provided by the government in higher education, then the talented poor class will get trapped in the vicious circle of debt and the benefits that the country can get from the demographic dividend will be converted into a demographic disaster. Therefore, subsidies by the government in higher education are mandatory so that the people of the country with the second largest population of the world do not lack technical skills. In the current times during the Covid-19 pandemic, the importance of subsidizing higher education by the government has emerged when there was a shortage of doctors in hospitals especially in rural areas. The state can arrange infrastructure such as hospitals, medical equipment in a short time, but the availability of sufficient number of doctors in a short time is difficult for the state. In order to make India's pride of being a world leader in the past become a reality in the future, it is necessary that our policy makers at present focus on education, especially inclusive higher education.

मुख्य शब्द : उच्च शिक्षा, सब्सिडी, तकनीकी कुशलता, क्रान्तिक कुशलता, जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय आपदा, मानव पूँजी निर्माण, निवेश, श्रम का गुण, जी. डी. पी., कर्ज का दुष्चक्र,

बहुआयामी गरीबी,

Higher Education, Subsidy, Technical Skill, Revolutionary Skill, Demographic Dividend, Demographic Disaster, Human Capital Formation, Investment, Quality of Labour, GDP, Vicious Circle of Debt, Multidimensional Poverty, Unorganized Sector, Equality of Opportunity, Economic Inequality.

प्रस्तावना

वर्तमान समय में मानव पूँजी में निवेश की धारणा विकसित होती जा रही हैं। अल्पविकसित देशों की प्रगति में मुख्य बाधा भौतिक पूँजी की कमी नहीं है, अपितु ज्ञान तथा क्रान्तिक कुशलता की कमी है, जो आगे उपलब्ध भौतिक पूँजी स्टॉक को खपाने की क्षमता को सीमित करते है। अतः मानव पूँजी निर्माण को भौतिक पूँजी निर्माण से अधिक महत्व दिया जाता हैं।

मानव पूँजी निर्माण, मानव में निवेश और उसके उत्पादक संसाधन के रूप में विकास से संबंध हैं। इस प्रकार व्यापक अर्थ में मानव पूँजी में निवेश का अर्थ है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं में व्यय करना हैं तथा संकुचित अर्थ में शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर व्यय हैं। आर्थिक पिछड़ापन दूर करने और प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के ज्ञान और कुशलताओं में वृद्धि की जाए। वास्तव में, मानव साधन के गुण मे सुधार किए बिना अल्पविकसित देश में कोई प्रगति संभव नहीं है। इसके साथ ही इन देशों में सामाजिक, धार्मिक, संस्थागत, सांस्कृतिक परिवर्तन होना अनिवार्य हैं, जो वास्तव में शिक्षा के प्रसार पर निर्भर करते हैं। शिक्षा के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं हैं। आर्थिक विकास के लिए श्रम का गुण ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि अकुशल श्रमिक अधिक देर तक भी काम करें, तो भी उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होगी।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था 'शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जिसका उपयोग दुनिया बदलने के लिए किया जा सकता हैं।' इसी प्रकार एक अन्य कथन, 'शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं', शिक्षा के महत्व को उजागर करता हैं। शिक्षा का मतलब उस ज्ञान से हैं जो हमें सम्पूर्ण मानव बनाने में ही सहायक नहीं हैं अपितु एक सभ्य समाज के निर्माण और मानवता को उसका सही अर्थ बतलाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। यही वजह है कि सभी विकसित देश शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं।

शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में किसी देश के विकास में मानव पूँजी निर्माण के महत्व को तथा मानव पूँजी निर्माण में उच्च शिक्षा के योगदान को बताया गया हैं तथा इसके अतिरिक्त निम्न उद्देश्यों की तरफ ध्यान दिया गया हैं –

1. शोध पत्र में उच्च शिक्षा के महत्व के साथ–साथ इसके महंगें होने का विरोधाभास परिलक्षित हो रहा हैं।
2. उच्च शिक्षा तक प्रतिभा सम्पन्न निर्धन वर्ग की सहज पहुंच राज्य के संरक्षण में ही संभव हैं।

असंगठित क्षेत्र, अवसर की समानता, आर्थिक असमानता।

शोध प्रविधि

शोध की प्रविधि विश्लेषणात्मक हैं। इसमें विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं से उपयोगी सामग्री लेते हुए उच्च शिक्षा में सब्सिडी के महत्व व इसकी उपयोगिता को बताया गया हैं।

विषय विस्तार

अतीत में भारत विश्व गुरु रह चुका हैं। हमारे यहाँ विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालन्दा आदि थे, जिनमें दूर देशों से विद्यार्थी उच्च अध्ययन के लिए आते थे तथा बहुत कम शुल्क या निःशुल्क शिक्षा अर्जित करते थे। लेकिन आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या खामियाँ हैं जिनके कारण भारत विश्व गुरु बने रहने के आदर्श को यथार्थ में परिणत नहीं कर पा रहा हैं? आजादी के 70% साल बीत जाने के बाद भी हमारी 73% जनसंख्या ही साक्षर हैं, जबकि फिनलैंड, नार्वे, अजरबेजान में100% साक्षरता स्तर हैं। वर्तमान में, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात मात्र 23.6% हैं जो यह बताता हैं कि सरकार के पास उच्च शिक्षा के प्रसार के संबध में समुचित दृष्टिकोण का अभाव है।

86 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को संवैधानिक महत्व प्राप्त हो चुका हैं, इसके बावजूद सभी के लिए शिक्षा की हमारी अवधारणा आंशिक सफल ही रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट में जो पैमाना हैं उसमे एक पैमाना शिक्षा का विकास भी हैं।यू. एन. की एच. डी. आर. रिपोर्ट – 2016, जो की 2015 में भारत का 131 वाँ स्थान तथा एच.डी.आर. रिपोर्ट – 2018, जो कि 2017 में भारत का 189 देशों में 130 वाँ स्थान दर्शा रहा हैं अप्रत्यक्ष रूप से यह इशारा करता है कि शिक्षा के मामले में हमसे 2015 में 130 तथा 2017 में 129 देश आगे हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका, मालदीव, जैसे छोटे देश भी हमसे आगे हैं।

भारत में शिक्षा पर जी.डी.पी. का 2.7% ही खर्च किया जाता हैं (2017–2018) में जबकि ब्राजील में जी.डी.पी. का 6%, भूटान में 7.05%, नेपाल में 5.1%, केन्या में 5.24% खर्च किया जाता हैं। इसी तथ्य को अगर हम उच्च शिक्षा में देखे तो पायेंगे कि 2017–2018 में देश में शोध कार्यों पर जी.डी.पी. का 0.7% खर्च किया गया जबकि चीन में 2.1%, अमेरिका में 2.8%, इजराइल में 4.3% खर्च किया गया।

उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाए आती हैं जो डॉक्टरों, प्रशासकों, इंजीनियरों तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं को देश के विकास के लिए उत्पन्न करती हैं। अल्पविकसित देशों में उच्चतर शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के मुकाबले कम प्राथमिकता दी जाती हैं, जबकि उच्चतर शिक्षा ही वह तकनीकी कुशलता प्रदान करती हैं जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाले देशों में उच्च शिक्षा या तो मुफ्त हैं या बहुत कम शुल्क लिया जाता हैं। अधिकतर यूरोपीय देशों में उच्च शिक्षा पर खर्च का 10% से भी कम फीस

होती हैं। नार्वे में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि डॉक्टेरट की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हैं। यही स्थिति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, चेक गणराज्य जैसे कई देशों की हैं। भारत में स्कूली शिक्षा तो लगभग मुफ्त हैं लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रारम्भ होते ही अधिक फीस चुकानी पड़ती हैं। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के मामले में नार्वे चौथे, ऑस्ट्रिया 14 वें, जर्मनी 15 वें स्थान पर हैं, भारत का 145वाँ स्थान हैं। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि इन देशों के नागरिक शिक्षा के लिए ऊंची फीस चुकाने में सक्षम हैं, परन्तु वहाँ की सरकार उन्हें मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान कर रही हैं जबकि भारत के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय काफी कम हैं इसके बावजूद यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक फीस चुकानी पड़ती हैं। इस प्रकार महँगी शिक्षा के परिणाम होगें–या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ज लिया जायेगा जिससे देश का एक बड़ा तबका आजीवन कर्जदार बन जायेगा तथा फिर यह कर्ज का दुष्चक्र बढ़ता ही चलेगा क्योंकि देश में 53.7% आबादी बहुआयामी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रही हैं तथा देश की लगभग 90% से अधिक श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं इनके लिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना 'कर्ज के दुष्चक्र ' में फंसने के बराबर हैं। या फिर हम अपनी प्रतिभाओं को खो देंगे जो कि आर्थिक वृद्धि का मुख्य स्त्रोत हैं। एक अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को ऊँची फीस देकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा सकता हैं परन्तु एक निर्धन की स्थिति इस मामले में उस समय विचित्र हो जाती हैं जब उसके बच्चें में प्रतिभा हो और वह बच्चा इन संस्थानों में अधिक फीस की वजह से प्रवेश पाने से वंचित हो जाता हो। एक भूमिहीन किसान की बेटी कहाँ से अवसर प्राप्त करेगी ? यह सोचना जरुरी हैं।

संविधान का अनुच्छेद –38 देश के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता हैं। एक लोककल्याणकारी राज्य होने के नाते देश में मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था समाज के हर वर्ग के लिए की जानी चाहिए। देश में जिस तरह की आर्थिक असमानता फैली हुई है तथा कोविड–19 महामारी के बाद इसकी तीव्रता में जो वृद्धि हुई हैं उसे देखते हुये यह कहना गलत नहीं होगा कि अवसर की समानता के संवैधानिक प्रावधान का पूरी तरह से पालन करना चुनौतीपूर्ण हैं। शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने तथा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर सरकार द्वारा सब्सिडी देना आवश्यक हैं। किसी भी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन लागत मूल्य या आर्थिक लागत मूल्य से कम मूल्य पर आपूर्ति की जाये तो दोनों के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता हैं उसे सब्सिडी कहा जाता हैं। अल्पविकसित देशों में उच्च शिक्षा का गरीब तबको को लाभ केवल राज्य के संरक्षण से ही संभव हैं। एक अमीर व्यक्ति ऊँची फीस देकर अच्छे संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकता हैं परन्तु एक निर्धन प्रतिभावान व्यक्ति के लिए इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना कठिन हो जाता हैं। चूँकि प्रतिभा का संबंध अमीरी–गरीबी से नहीं हैं, यह सभी जगह उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार अगर सरकार निर्धन वर्ग की उच्च शिक्षा हेतु सब्सिडी नहीं देगी तो यह प्रतिभा खो जायेंगी, फिर देश विकास कैसे कर पायेगा ? देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य स्त्रोत समाप्त हो जायेगा। यदि सरकार ने उच्च शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी युवा आबादी के बल पर देखा जाने वाला जनसांख्यिकीय लाभांश का सुनहरा सपना जनसांख्यिकीय आपदा के दुस्वप्न में बदल सकता हैं। अशिक्षित व अस्वस्थ कामगारों के बल पर देश कभी भी महाशक्ति बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। 86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान किया गया है तथा इसे मौलिक कर्त्तव्य में भी शामिल किया गया हैं लेकिन प्रश्न यह हैं कि जितनी तत्परता से सरकार कानून व नीतियाँ बना रही हैं क्या उतनी तत्परता से सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही हैं ?

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा आविष्कार, नवप्रवर्तन, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहन देने में सहायक है। शोध एवं विशेषीकृत शिक्षा (Specialised Education) में व्यस्त (Engaged) विद्यार्थी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उच्चशिक्षा में सब्सिडी प्रतिभा सम्पन्न निर्धन वर्ग की उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने तथा जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *एम. एल. झिंगन 'विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन' वृंदा पब्लिकेशन।*
2. *एस. एन. लाल एवं एस. के लाल 'भारतीय अर्थव्यवस्था 'शिवम पब्लिकेशन।*
3. *योजना 'फरवरी 2020 "सूचना एवम प्रसारण मंत्रालय, पब्लिकेशन डिवीजन, भारत सरकार।*
4. *यू. एन. – एच. डी. आर. रिपोर्ट – 2016 और 2018*
5. *द हिन्दू, सम्पादकीय, नवंबर 2019*
6. *दैनिक भास्कर, सम्पादकीय, नवंबर 2019*
7. *राज्यसभा टीवी. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019'*
8. *समसामियिकी पत्रिकाएं।*
9. *गूगल ब्राउजर।*
10. *गूगल स्कॉलर।*